प्रेस नोट ***27/03/2025***

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹20,000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे प्रथम कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 27-03-2025 को मु0अ0सं0 414/2017 धारा 302, 498ए, 120बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्त राजा ठठेरा पुत्र फूलचंद्र निवासी रेयांव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹20,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्यामधर यादव थाना दोहरीघाट का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष कठोर कारावास व ₹18,000-18,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एएसजे प्रथम कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 26-03-2025 को मु0अ0सं0 330/2020 धारा 323, 504, 506, 304 भादवि थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्तगण अमित चौहान पुत्र राजेश चौहान, यशवंत चौहान पुत्र राजेश चौहान, अंगद चौहान पुत्र राजेश चौहान समस्त निवासीगण उम्मनपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 07-07 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं ₹18,000-18,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री नन्दलाल भारती, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।

चोरी की एक अदद साइकिल के साथ एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया–

आज दिनांक 27.03.2025 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ग्राम हडहुआ से मु0अ0सं0 573/24 धारा 303(3), 351(2), 352, 317(2) बीएनएस से संबंधित एक नफर बाल अपचारी के कब्जे से चोरी की एक अदद साइकिल बरामद कर उक्त बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 27.03.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिग के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त जंगबहादुर पुत्र चन्द्रदीप निवासी सिसयड थाना उभांव जनपद बलिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

मु0अ0स0 891/2010, धारा यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ से वांछित चल रहे अनुज कनौजिया पुत्र हनुमान कनौजिया निवासी बहलोलपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को रुपये 250,000/- ईनाम, श्रीमान पुलिस महानिदेशक द्वारा घोषित करने के संबन्ध मे क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय की बाईट

शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 28.03.2025 सायंकाल अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय सहित भारी संख्या में दंगा नियंत्रित उपकरणों के साथ जनपदीय पुलिस बल मऊ नगर क्षेत्र के संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों मिर्जाहादीपुर औरंगाबाद, टीसीआई मोड़, संस्कृत पाठशाला, हड्डीमदारी, आदि स्थानों पर रूट मार्च/पैदल गस्त कर शांति/सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति भरोसा दिलाया गया एवं अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। साथ ही साथ पूरे जनपद में क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में महत्वपूर्ण/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रूट मार्च एवं पैदल गस्त किया जा रहा

सादर अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 101/25 धारा 115(2),352,351(3),117(2),110,191(2),191(3) मे अभियोग पंजीकृत पंजीकृत है विधिक कार्यवाही की जा रही